न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल रेगर आर.ए.एस.

केम्प– बानसेन

प्रकरण संख्या – 196 / 2016

दिनांक : 23–06–2017

उनवान

1. कन्ना पिता गोकल भील निवासी गोपालपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तोडगढ

.....वादी

।। बनाम ।।

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. श्री सरकार जरिये जिला कलेक्टर चित्तौडगढ

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कृषि आराजीयात की घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित– श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं इन्द्राज दुरूस्ती के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि वादी ने खातेदार की मौजा गोपालपुरा पटवार हल्का मण्डफिया भू0अ0 नि0 मण्डफिया तहसील भदेसर की साबिक खाता संख्या 03 में दर्ज आराजी नम्बर 157 / 5 क रकबा 0.03 बीघा एवं आ0नं0 157 / 5 ख रकबा 4 बिघा 17 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 5 बीघा कुल लगानी 3.75 रूप्ये एवं नवीन सेटलमेन्ट अनुसार खाता सं0 04 में अंकित खसरा नं0 277 रकबा 0.24 है0लगानी 5.04 रूप्ये दर्ज रेकार्ड है साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संत 2065–2068 एवं 2073 से 2076 व मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत है।

2. यह कि मौजा गोपालपुरा तहसील भदेसर का वर्ष 2010–11 में भू.प्रबंध अधिकारीयो के द्वारा भू0प्रबंध किया गया। भू. प्रबंध के दौरान वादी के खातेदारी में दर्ज साबिक आराजी नम्बर 157 / 5 क रकबा 0.03 बीघा एवं आ0नं0 157 / 5 ख रकबा 4 बिघा 17 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 5 बीघा कुल लगानी 3.75 रूप्ये एवं नवीन सेटलमेन्ट अनुसार खाता सं0 04 में अंकित खसरा नं0 277 रकबा 0.24 है0 कायम किया गया शेष आराजीयात को बिलानाम काबिल काश्त भूमी दर्ज कर दी जिससे वादी कि ओर से वादपत्र घोषणात्मक डिक्री पैश है।

यह कि वादी के विवादित आराजीयात सेटलमेन्ट से पुर्व खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस पर वादी काविज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है ऐसी

23/6/17
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

स्थिति में भू.प्रबंध अधिकारीयो द्वारा दोराने भू.प्रबंध वादी की खातेदारी की आराजियात को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही था फिर भी भू.प्रबंध अधिकारीयो ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर वादी के खातेदारी में दर्ज आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जब कि वादी आज भी मौके पर 5 बीघा भूमी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जिससे वादी उक्त आराजीयात के कमी रकबे को अपनी खातेदारी में दर्ज करा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कराये जाने का अधिकारी होने से वाद पत्र वादी इन्द्राज दुरस्ती पैश है।

4. यह कि दौराने सेटलमेन्ट विवादित आराजियात वादी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी मौके पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है फिर भी भू.प्रबंध अधिकारीयो ने मौके पर रकबे की कमी करते हुए बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दी है। जिसकी आड में प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजियात से बेदखल करना चाहते है व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे ना करावे ना ही किसी अन्य को उक्त भूमी आवंटित करे इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किये जाने हेतु यह वाद पत्र पेश है।

5. यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने पुर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी के खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम कर बेदखल करने पर आमादा हो रहे हे एवंकिसी को आंटित नही कर दे ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नोटिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिये धारा 80(2) जा.दी. का आवेदन मय सपथ पत्र के पैश है।

6. यह कि बिनाय मुखास्मात वाद कारण दिनांक 12.11.2016 को विवादित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण द्वारा वरदी को बेदखल करने की रिपोर्ट करने से पैदा होकर निरन्तर जारी है जिससे वाद पत्र वादी अन्दर मियाद पेश किया है जो स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । विपक्षीगण की ओर पैरोकार सरकार तहसीलदार भदेसर द्वारा जरिये पत्र दिनांक 30–03–2017 से मौका एवं राजस्व रेकार्ड के आधार पर जवाब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि –

1. ग्राम गोपालपुरा की आराजी नम्बर 277 रकबा 0.24 हैक्टैयर , आराजी नम्बर 278 रकबा 0.02 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 279 रकबा 0.48 हैक्टैयर किता 3 कुल रकबा 0.74 हैक्टैयर पर वादी कन्ना पिता गोकल भील का कब्जा होकर काश्त हो रही है ।

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

2. आराजी नम्बर 277 रकबा 0.24 हैक्टैयर वर्तमान में वादी कन्ना पिता गोकल भील के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । आराजी नम्बर 277, 278, 279 पर आंवटन वर्ष से ही वादी का कब्जा है ।
3. आराजी नम्बर 278 रकबा 0.02 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 279 रकबा 0.48 हैक्टैयर भूमि वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है ।
4. वादी कन्ना पिता गोकल के नाम भू प्रवन्ध से पूर्व आराजी नमबर 157/5क रकबा 3 बिस्वा , आराजी नम्बर 157/5ख रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 5 बीघा थी ।
5. मिलान शीट अनुसार नये पुराने आराजी नम्बर निम्नानुसार है नये खसरा नम्बर 277 के पुराने खसरा नम्बर 157/5क, 157/5ख एवं नये खसरा नम्बर 278 के पुराने खसरा नम्बर 166 मी. एवं नवीन खसरा नम्बर 279 के पुराने खसरा नम्बर 168मी, 167मी, 168मी, है ।

लायक अधिवक्ता वादी की वहस सुनी गई जिन्होनें वादवर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार भदेसर की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार भू प्रवन्ध विभाग द्वारा तैयार किये गये मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान आ0न0 277, 278, 279 भू–प्रवन्ध के खसरा नम्बर 157/5क, 157/5ख, 166मी. , 168मी, 167मी, 168मी, से बनना पाया गया है जिस पर वादी का वक्त आवंटन से ही कब्जा बताया गया । वास्तविक रूप में वादी के खातेदारी में 05 वीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी वक्त सेटलमेन्ट वादी उक्त रकबा पर काविज था तथा वर्तमान में वादी जिन आराजी पर काविज है नक्शा ट्रेस एवं भूतल के आधार पर 0–74 हैक्टैयर भूमि के अतिरिक्त रकबा अतिशेष नहीं होकर वादी को 5 वीघा भूमि का समायोजन संभव नहीं है वादी द्वारा अपने बयानों में स्वीकार किया गया है कि मौके पर कब्जा के अनुसार जितनी भूमि बनती है उतनी भूमि ही वादी के खातेदारी में दर्ज कराई जावे । इस प्रकार वादी बिलानाम आ0न0 277, 278, 279 रकबा 0.74 हैक्टेयर पर काविज होकर अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी पाये गये है । सैटलमेन्ट के दौरान भू प्रवन्ध अधिकारीयों की त्रृटि से वादी का नाम राजस्व रेकार्ड से नाम विलोपित हो चुका है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड की स्थिति उत्पन्न है जो दुरूस्त किये जाने योग्य पायी जाने से वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है ।

23/6/17
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि भूतल पर उपलब्ध रकबा जो कि वादी के कब्जे काश्त में है मौजा गोपालपुरा पटवार हल्का मण्डफिया के साबिक आराजी नम्बर 157/5क, 157/5ख, 166मी., 168मी, 167मी, 168मी, रकबा 05 बीघा भूमि जो कि भू प्रबन्ध 2010–11 के दौरान वादी के खातेदारी से विलोपित कर बिलानाम दर्ज कर दी गई है तहसीलदार भदेसर की अनुशंषा के आधार पर सेटलमेन्ट से कायम नवीन आराजी जो कि वादी के कब्जे काश्त में है नम्बर 277 रकबा 0.24 हैक्टैयर , आ0न0 278 रकबा 0.02 हैक्टेयर , आ0न0 279 रकबा 0.48 हेक्टैयर कुल किता–3 कुल रकबा 0.74 हेक्टैयर भूमि वादी के खातेदारी की घोषित की जाती है तथा राजस्व रेकार्ड में वादी के खातेदारी हक से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner